अंचल अधिकारी कर्रा का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या 297/16-17

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

12.10.2020

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074 / रा0, दिनांक–13.05.2016 सम्पादित श्री अनुल मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119 / 85 / 2308 / रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914 / रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा–अड़िकेला, थाना– कर्रा, खाता संख्या– 47, प्लॉट संख्या– 1206 रकबा 0.05 एकड़ की भूमि जो गैरमरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– I के पृष्ठ संख्या– 42 पर जमाबंदी रैयत [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध जाली बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को हानि पहुंचाना करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की संदिग्ध जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अग्रिम दिनांक 19/10/2020 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
02.12.2020	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। सुनवाई में जमाबंदी रैयत के द्वारा उपस्थिति दी गई है। जमाबंदी रैयत लालु मुण्डा पिता रूसु मुण्डा के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में बिहार भूदान यज्ञ कमिटि द्वारा निर्गत भूमि का प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट सहित) प्राप्त है , जाँच प्रतिवेदनानुसार मौजा उड़ीकेल, थाना नं0 22 के सर्वे खतियान में खाता सं0 47 प्लॉट सं0 1206 रकबा क्रमशः 0.05 एकड़ भूमि गैरमजुरूआ खास परती पत्थर दर्ज है। राजस्व मांग पंजी II भाग I के पृष्ट सं0 42 में लालु मुण्डा पिता रूसु मुण्डा के नाम से दर्ज है। पंजी II में गैरमजुरूआ भूमि बंदोबस्ती पंजी में दर्ज है। जमाबंदी का आधार दर्ज नहीं है। कार्यालय में उपलब्ध वासगित पर्चा पंजी में जमाबंदी रैयत लालु मुण्डा पिता रूसु मुण्डा रकबा 0.05 एकड दर्ज है। एवं सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है। प्रश्नगत भूमि पर संबंधित पक्ष का लगभग 45 वर्षो से अधिक समय से दखल–कब्जा है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा खाता सं0 47 प्लॉट सं0 1206 रकबा क्रमशः 0.05 एकड भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने का अनुशंसा किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई तत्काल समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित। अंचल अधिकारी कर्रा। अंचल अधिकारी कर्रा।	